POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.01.2026

1.थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 दोपहिया वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.01.2026 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेन्स की सहायता से दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्यीय वाहन चोर 1.अनुराग पुत्र अजय पांडे 2.देवदत्त शर्मा पुत्र रविदत्त शर्मा को एनआईबी चौकी बॉर्डर खोडा रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से/निशादेही पर चोरी के 15 दोपहिया वाहन बरामद हुए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी/वाहन चोर है। ये लोग रैकी करके भीड़भाड़ वाली मार्केट/कम्पनियों की पार्किंग से नोएडा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से दोपहिया वाहन चोरी करते है और चोरी के वाहन को ऐसी जगह छुपाते है जहां पर लोगो का आना-जाना न हो, ये लोग समय-समय पर जगह बदलते रहते है। इनके द्वारा अब तक नोएडा, एनसीआर क्षेत्र में 100 से अधिक वाहन चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया गया है। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि इनसे बरामद 1-मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी16बीएल-7217 को इन दोनो ने मिलकर माह नवम्बर में आम्रपाली सिलिकोन सिटी सेक्टर-76, नोएडा से चोरी किया है, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-113, नोएडा पर मु0अ0सं0-500/25 धारा-303(2) भादवि पंजीकृत है। 2-मोटरसाइकिल यूपी14सीबी-7662 की चोरी के सम्बन्ध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट गाजीपुर दिल्ली पर मु0अ0सं0-033975/25 धारा 303(2) भादवि पंजीकृत है। 3-मोटरसाइकिल यूपी16बीई-7827 की चोरी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-20, नोएडा पर मु0अ0सं0-34/25 धारा 303(2) भादवि पंजीकृत है। 4-मोटरसाइकिल स्पलेण्ड रजि0 नं0 यूपी44एएच-7157 की चोरी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-59/25 धारा 303(2) भादवि पंजीकृत है। 5-स्कूटी रजि0 नम्बर डीएल7एसवाई-7711 की चोरी के सम्बन्ध में थाना जगतपुरी, दिल्ली पर मु0अ0सं0-025413/25 धारा-303(2) भादवि पंजीकृत है तथा शेष वाहनों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो पूर्व में भी कई आपराधिक मामले में जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अनुराग पुत्र अजय पांडे निवासी बडौसा, थाना मोतीपुर, जिला सुल्तानपुर वर्तमान पता न्यू कोंडली, थाना न्यू अशोकनगर, दिल्ली उम्र 25 वर्ष।
2. देवदत्त शर्मा पुत्र रविदत्त शर्मा निवासी भनौत, थाना भनौत, जिला अलवर, राजस्थान वर्तमान पता सेक्टर-55, नोएडा, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त अनुराग--

1. मु0अ0सं0-363/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
2. मु0अ0सं0-513/2022 धारा 3790, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-37/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, नोएडा।
4. मु0अ0सं0-1227/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-24, नोएडा।
5. मु0अ0सं0-405/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
6. मु0अ0सं0-525/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
7. मु0अ0सं0-04/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
8. मु0अ0सं0-26/2023 धारा 411, 414 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
9. मु0अ0सं0-474/2024 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, नोएडा।
10. मु0अ0सं0-561/2024 धारा 317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-24, नोएडा।
11. मु0अ0सं0-381/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।
12. मु0अ0सं0-714/2022 धारा 380 भादवि थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।
13. मु0अ0सं0-422/2021 धारा 392, 34, 397 भादवि थाना मधुविहार ईस्ट, दिल्ली।
14. मु0अ0सं0-596/2021 धारा 392, 34 भादवि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।
15. मु0अ0सं0-500/25 धारा-303(2) भादवि थाना सेक्टर-113, नोएडा।
16. मु0अ0सं0-033975/25 धारा 303(2) भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट गाजीपुर, दिल्ली।
17. मु0अ0सं0-34/25 धारा 303(2) भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
18. मु0अ0सं0-59/25 धारा 303(2) भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
19. मु0अ0सं0-025413/25 धारा-303(2) भादवि थाना जगतपुरी, दिल्ली।
20. मु0अ0सं0-11/2026 धारा 317(2), 317(5) भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

B.अभियुक्त देवदत्त शर्मा--

1. मु0अ0सं0-649/2019 धारा 392 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-985/2018 धारा 379, 411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-114/2019 धारा 34, 411, 414, 482, भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।
4. मु0अ0सं0-665/2019 धारा 394, 411 भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।
5. मु0अ0सं0-703/2019 धारा 413, 414, 482 भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।
6. मु0अ0सं0-705/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39, नोएडा।
7. मु0अ0सं0-500/25 धारा-303(2) भादवि थाना सेक्टर-113, नोएडा।
8. मु0अ0सं0-033975/25 धारा 303(2) भादवि थाना ईपुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट गाजीपुर, दिल्ली।
9. मु0अ0सं0-34/25 धारा 303(2) भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
10. मु0अ0सं0-59/25 धारा 303(2) भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
11. मु0अ0सं0-025413/25 धारा-303(2) भादवि थाना जगतपुरी दिल्ली।
12. मु0अ0सं0-11/2026 धारा 317(2), 317(5) भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी16बीएल-7217 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-500/25 धारा-303(2) भादवि थाना सेक्टर-113, नोएडा)
2. मोटरसाइकिल यूपी14सीबी-7662 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-033975/25 धारा 303(2) भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट गाजीपुर दिल्ली)
3. मोटरसाइकिल यूपी16बीई-7827 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-34/25 धारा 303(2) भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा)
4. मोटरसाइकिल स्पलेण्ड रजि0 नं0 यूपी44एएच-7157(सम्बन्धित मु0अ0सं0-59/25 धारा 303(2) भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा)
5. स्कूटी रजि0 नम्बर डीएल7एसवाई-7711(सम्बन्धित मु0अ0सं0-025413/25 धारा-303(2) भादवि थाना जगतपुरी दिल्ली)
6. मोटरसाइकिल स्लेण्डर रजि0 नं0 यूपी16एके-2232
7. स्कूटी मेस्ट्रो रजि0 नं0 यूपी14डीएल-6910
8. मोटरसाइकिल स्लेण्डर रजि0 नं0- यूपी16सीएन-1642
9. मोटरसाइकिल स्लेण्डर रजि0 नं0 यूपी16डीआर-0810
10. मोटरसाइकिल स्लेण्डर रजि0 नं0 यूपी16डीएफ-7826
11. मोटरसाइकिल स्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट चैसिस नं0 41683
12. मोटरसाइकिल गलेमर रजि0 नं0 पीबी65एक्स-1929
13. स्कूटी एक्टिवा रजि0 नं0 यूपी11एएस-4259
14. मोटरसाइकिल स्लेण्डर रजि0 नं0 यूपी14जीक्यू-8958
15. मोटरसाइकिल स्लेण्डर रजि0 नं0 डीएल3एसईएस-8623

2.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने के नाम पर 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी/ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- **दिनांक 16/01/2026** को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना की सहायता से वादी को व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर एक ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने के नाम पर वादी से 12,00,00,000 (बारह करोड़) रुपये की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले चीनी (चाइनीज) गिरोह से जुड़े 01 अभियुक्त राजकुमार कुमावत पुत्र कमुतम नागैया को हैदराबाद, तेलंगाना से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 03/12/2025 को थाना साइबर क्राइम में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा वादी को व्हाट्सएप/टेलीग्राम के माध्यम से लिंक भेजकर एक ग्रुप में जोड़ते हुए शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने के नाम पर 35 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाकर 12

करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। विवेचना में त्वरित कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में संलिप्त संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त राजकुमार कुमावत से पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने अपने अन्य साथी बुक्का मनोहर के साथ मिलकर "मून ब्लॉसम" नामक फर्जी कंपनी खुलवाकर उसमें साइबर फ्रॉड के माध्यम से ₹1,22,00,000 प्राप्त किए, जिन्हें उन्होंने आपस में बाँट लिया। इसके अलावा, अन्य अपराधियों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में संलिप्त 09 अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में कार्यवाही की जा चुकी है और अन्य संलिप्त अपराधियों की तलाश जारी है।
एनसीआरपी पोर्टल पर अब तक इस घटना में प्रयुक्त बैंक खातों के विभिन्न राज्यों में कुल 03 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं— 01. तमिलनाडु राज्य में 02 शिकायतें दर्ज हैं, जो निवेश फ्रॉड संबंधित हैं, जिनमें ₹2,76,01,900 की धोखाधड़ी की गई है; 02. दिल्ली राज्य में 01 शिकायत दर्ज है, जो निवेश फ्रॉड संबंधित है, जिसमें ₹6,01,647 की धोखाधड़ी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. राजकुमार कुमावत पुत्र कमुतम नागैया, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी श्रीनदा एन्क्लेव, वेंकटेश्वर कॉलोनी, नेकनामपुर, मणिकोंडा, हैदराबाद, जनपद रंगारेड्डी, तेलंगाना–500089।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 0137/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन

3.थाना फेस-1 पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 05 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 01 प्रिंटर मशीन, 45 कॉल डाटा शीट बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.01.2026 को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तथा बीमा पॉलिसी को कम समय में मेच्योर कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 05 साइबर अभियुक्तों 1- अनुज पुत्र रामविलास 2- राकेश कुमार पुत्र रामकुमार 3- मनीष मंडल पुत्र सोहन मंडल 4- शुभम सक्सेना पुत्र प्रदीप कुमार 5- शहजाद अहमद पुत्र सईद अहमद को डी-16, सेक्टर-6, नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 लैपटॉप, 07 स्मार्ट मोबाइल फोन, 09 की-पैड मोबाइल फोन, 01 प्रिंटर मशीन एवं 45 कॉल डाटा शीट बरामद की गई हैं। साथ ही साइबर अपराध/ठगी से संबंधित 04 बैंक खातों (जिनमें लगभग 80 लाख रुपये) को फ्रीज कराया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे आमजन को लैप्स बीमा पॉलिसी के रुपये वापस दिलाने तथा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे तथा प्राप्त धनराशि को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कराते थे। अभियुक्तगण 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का निवेश कराकर लोगों से ठगी करते थे तथा उक्त धनराशि को निकालकर आपस में बाँट लेते थे। कॉलर को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश एवं बीमा पॉलिसी को कम समय में मेच्योर कराकर धनराशि वापस दिलाने का झांसा दिया जाता था। बरामद लैपटॉप से ठगी से संबंधित डाटा शीट प्राप्त हुई हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों से संबंधित शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अनुज पुत्र रामविलास निवासी भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
2. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम रतनपुरस थाना ईचाक, हजारीबाग (झारखण्ड) वर्तमान पता मटियाल नन्हे पार्क, थाना उत्तम नगर, दिल्ली।
3. मनीष मंडल पुत्र सोहन मंडल निवासी ग्राम तमरिया, थाना तमरिया, मधुबनी (बिहार) वर्तमान पता नियर चर्च वाली गली, न्यू अशोक नगर, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।
4. शुभम सक्सेना पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ललिता पार्क, लक्ष्मीनगर, थाना लक्ष्मीनगर, दिल्ली।
5. शहजाद अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी मनिहार मोहल्ला, कस्बा व थाना मवाना, मेरठ वर्तमान पता जाकिर नगर, थाना जामिया नगर, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 022/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 लैपटॉप
2. 07 स्मार्ट मोबाइल फोन
3. 09 की-पैड मोबाइल फोन
4. 01 प्रिंटर मशीन
5. 45 कॉल डाटा शीट

साइबर जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव बिंदु--

1. आम नागरिकों से अपील है कि बीमा पॉलिसी/निवेश को कम समय में मेच्योर कराने के नाम पर आने वाले कॉल, मैसेज या ई-मेल पर विश्वास न करें।
2. कोई भी व्यक्ति स्वयं को बीमा, बैंक या निवेश सलाहकार बताकर धनराशि की मांग करे तो उसकी पुष्टि संबंधित कंपनी के आधिकारिक माध्यम से अवश्य करें।
3. OTP, बैंक विवरण, एटीएम/डेबिट-क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें।
4. साइबर ठगी की आशंका होने या धनराशि ट्रांसफर हो जाने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

5. नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी कॉल/ठगी की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे साइबर अपराधियों के विरुद्ध समय रहते कार्रवाई की जा सके।